26 8/20 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष बहस सुनी गई। आवेदक विपक्षी सं: 2 राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण का कथन है कि पटवार हल्का द्वारा प्रकरण में जो पत्थरगढ़ी की गई है वह गलत है। किस मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी की गई इसका कोई हवाला नहीं है। जानबूझकर गलत पत्थरगढ़ी की गई जिसे निरस्त करते हुए सेटलमेन्ट के मुस्तकिल निशान को कायम कर दुबारा नाप चोरव किया जावे। दिनांक 12/7/2019 का पर्चा मौका कई विसंगतियों से भरा हुआ है जिसे निरस्त किया जावे। धनपत सिंह की ओर से अधिवक्ता ने उक्त सभी कथनों को नकारते हुए निवेदन किया कि पत्थरगढ़ी सही की गई है

Continue!—

निम्बाहेड़ा (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा माननीय न्यायालय के आदेश पर 2 भू अभिलेख निरीक्षक व 2 पटवारी की कमेटी द्वारा पूरी टीम बनाकर पत्थरगढी की गई है जो पूर्णतया सही है। पत्थरगढी की विधिवत सूचना विपक्षी सं. 2 को दी गई थी जिसने मौके पर पत्थरगढी के समय कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।	
	हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में पूर्व में दिनांक 24/6/2019 को पत्थरगढी करने का आदेश इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। आदेश की पालना में तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा विधिवत रूप से आदेश जारी कर राजस्व कार्मिकों का दल गठित करते हुए पत्थरगढी करवाई गई है। इस प्रकार विधिक प्रक्रिया के तहत ही कार्यवाही की गई है। इस न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने के उपरान्त निर्णय का रिव्यु किए जाने कोई आधार प्रकट नहीं होता है। विपक्षी सं. 2 असंतुष्ट होने की स्थिति में उक्त आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर [illegible] फैसला सुनाया [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner